

ग्राम पंचायत दयोल, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत दयोल विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्री ओम प्रकाश	01.04.13 से 22.01.16
2	श्री अनिल कुमार	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्री सुभाष चन्द	01.04.13 से 12.02.14
2	श्रीमति आशा शर्मा	13.02.14 से 31.01.16
3	श्रीमति इन्द्रा कुमारी	01.02.16 से 31.03.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत दयोल के लेखाओं अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	पैरा-4.2	रोकड़ वही व बैंक खाते में अन्तर बारे	0.16
2	पैरा-4.4	नियम के अनुसार पंचायत निधि के लेखे खाते तैयार न करना	-
3	पैरा-5	पंचायत द्वारा गृह कर की वसूली न करना	0.12

4	पैरा-6	अनुदान का उपयोग न करना	9.00
5	पैरा-8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक स्टोर का क्रय करना	3.46
6	पैरा-9	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	4.61
7	पैरा-10	राशि का संभावित दुरुपयोग	0.06

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत दयोल, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 03/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री नरेंद्र कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 24.08.16 से 29.08.2016 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 2/14, 1/15, व 7/15 तथा 8/13, 11/14, व 8/15 का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत दयोल, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹7200 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 196 दिनांक 29.08.16 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा यह राशि ड्राफ्ट संख्या 800023 (KCCB) दिनांक 02.09.16 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दी गई।

4

वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत दयोल, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) **स्वः स्रोत :-** ग्राम पंचायत दयोल, के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्वः स्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	193486	51705	245191	33509	211682
2014-15	211682	31097	242779	17838	224941
2015-16	224941	53027	277968	5002	272966

(2) **अनुदान :-** ग्राम पंचायत दयोल, के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	206826	969928	1176754	835789	340965
2014-15	340965	911342	1252307	815868	436439
2015-16	436439	945921	1382360	482568	899792

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

स्वः स्रोत :-

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹ 272966

अनुदान :-

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹ 899792

दिनांक 31.03.16 को बैंक खातों में शेष : ₹ 1156928.50

हस्तगत राशि : ₹ 220

अन्तर की राशि : ₹ 15609.50

बैंक खाता संख्या	राशि
MNREGA, KCCB - 26739	0
General, Own Source, VKNY, 13 TH FC, SDP, SBM KCCB - 04523	895013.50
MP, MLA, KCCB - 42741	128536.00

AAY, KCCB - 42832	17236.00
LADA, KCCB - 40903	116083.00
IAY, KCCB - 42901	60.00
कुल राशि	1156928.50

4.2 रोकड़ वही व बैंक खाते में ₹ 0.16 लाख के अन्तर बारे :-

जांच में पाया कि पंचायत में समय -2 पर नियमानुसार रोकड़ वही का मिलान बैंक शेष से नहीं किया गया था , जिस कारण से दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ वही एवं बैंक के अन्तिम शेष में ₹15610 का अन्तर पाया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्रोत से करके पंचायत के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

4.3

जांच में पाया कि सामान्य रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 68 से 70 तक खाली रखे गए थे एवं रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 69 से 98 , 1 से 41 एवं 53 से 60 अवधि 04/2013 से 03/2016 में दर्ज प्रविष्टियों को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें एवं अब सत्यापित करवाना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

4.4 रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना :-

ग्राम पंचायत दयोल की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था , जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म , कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.5 नियम के अनुसार पंचायत निधि के लेखे तैयार न करना :-

पंचायत के लेखों की जांच में पाया कि पंचायत में लेखों का रख-रखाब हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 29 (2) के अनुसार खाता -क एवं खाता -ख के रूप में नहीं रखा गया था। अतः नियमों के अनुसार लेखों का रख-रखाब न रखने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में नियमों के अनुसार लेखे खाते खोलकर नियम 3 व नियम 4 में वर्णित शीर्षों के अनुसार पंचायत में प्राप्त आय को खाता-क व खाता -ख में जमा करना सुनिश्चित करें।

5 पंचायत राजस्व ₹ 0.12 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्वः स्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि गृहकर की मांग अवधि 01.04.12 से 31.03.16 तक नहीं की गई थी जो कि एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है क्योंकि गृहकर पंचायत की आय का मुख्य स्रोत है एवं इससे पंचायत को ब्याज के रूप में हानि हुई तथा पंचायत के विकास कार्य भी अवरुद्ध रहे। अतः गृहकर की मांग व वसूली नियमानुसार प्रतिवर्ष न करने एवं गृहकर का रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा भविष्य में प्रतिवर्ष गृहकर की मांग व वसूली करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.16 तक पंचायत के राजस्व ₹11860 की वसूली शेष थी।

1 गृहकर :

वर्ष	अथशेष	मांग की जानी अपेक्षित	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	11380	11710	23090	16890	6200
2014-15	6200	12010	18210	2640	15570
2015-16	15570	12340	27910	16080	11830

2 जांच में पाया कि रसीद संख्या 344582 दिनांक 07/2015 द्वारा गृहकर के रूप में ₹30 की वसूली की गई थी, लेकिन यह राशि पंचायत के खाते में जमा नहीं की गई थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्रोत से करके पंचायत के निधि खाते में जमा करना सुनिश्चित करें।

3 अंकेक्षण के दौरान गृहकर के निर्धारण से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः

आगामी अंकेक्षण में अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

4 भू- राजस्व की वसूली न करना :- पंचायत की स्व स्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2015-16 में भू- राजस्व की वसूली नहीं की थी एवं न ही इसकी वसूली हेतु उचित प्रयास किए गए थे । अतः नियमानुसार भू- राजस्व की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ-साथ इसकी वसूली प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित करें ।

5 जांच में पाया कि अंकेक्षण अवधि में रसीद संख्या 304815 , 304833, व 304799 जारी की गई थी लेकिन इन रसीदों की कार्यालय प्रतियां खाली रखी गई थी एवं न ही इन रसीदों से प्राप्त राशि को पंचायत के खाते में जमा किया गया था जिससे इन रसीदों के दुरुपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त वर्णित रसीदों बारे स्थिति यथाशीघ्र स्पष्ट की जाये।

6 अनुदान ₹ 9.00 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक अनुदान ₹899792 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

7 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹ 50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट-2 में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जो कि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। इसके अतिरिक्त जांच में पाया कि हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार वही खाते भी तैयार नहीं किए

गए थे जिससे वर्णित कार्यों पर खर्च की गई राशि का पता नहीं चल सका एवं इन कार्यों के मूल्यांकन से संबन्धित माप पुस्तिकाएँ भी अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाये एवं मूल्यांकन से संबन्धित माप पुस्तिकाएँ भी आगामी अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹ 3.46 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म , कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) , 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹346087 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 ₹ 4.61 लाख की क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म , कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने , जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-4** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹461377 की क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

10 ₹ 6000 का संभावित दुरुपयोग :-

सामान्य रोकड़ वही से अंकेक्षण अवधि में किए गए व्ययों की जांच में पाया कि

दिनांक 04.11.15 को बैंक से ₹6000 की राशि आहारित की गई थी लेकिन जांच में पाया कि रोकड़ वही में इसकी प्रविष्टि नहीं की गई थी एवं न ही इसके व्यय से संबन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए गए जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस राशि को आहारित करके इसका दुरुपयोग किया गया था। अतः इस राशि को आहारित करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा ₹6000 की वसूली उचित स्रोत से करके पंचायत के संबन्धित खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

11 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म , कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था , जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. खाता वहियाँ तैयार न करना।
2. अनुदान रजिस्टर
3. भण्डार रजिस्टर
4. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।
5. गृहकर का रजिस्टर तैयार न करना।
6. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना।
7. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना।

12 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म , कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 लघु आपत्ति विवरणिका :-

इसे अलग से जारी नहीं किया गया। अपितु लघु आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

14 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(2)31 / 2016-खण्ड-1-6621-6624 दिनांक: 21.12.2016
शिमला-171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत**
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत दयोल, विकास खण्ड बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1(ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
 - 3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0
 - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता / -
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.